कमलेश कुमार बनाम् राजस्थान राज्य।

(एकलपीठ दाण्डिक विविध द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6501/2006)

2.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री सुधीर के. जैन, अधिवक्ता} वास्ते प्रार्थी।

श्री पंकज गुप्ता, अधिवक्ता }

श्री आर.पी. कुलदीप, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी एक वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में चला आ रहा है और अभी तक प्रकरण में 2 साक्षीगण के कथन लेखबद्व हुए हैं तथा प्रकरण में 50 साक्षीगण नामजद किए गये हैं। उनका यह भी कथन है कि यदि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को अक्षरश: मान भी लिया जावे तो भी प्रार्थी के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 302/34 व 120 के आरोप स्थिर नहीं रहते है। उन्होंने मेरे समक्ष विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं की प्रतिलिपियाँ भी प्रस्तुत की।

मैंने केस डायरी का अवलोकन किया।मैं, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत अभिव्यक्त करना उचित नहीं समझता क्योंकि इससे प्रकरण का निस्तारण प्रभावित होने की सम्भावना है,किन्तु यह ऐसा प्रकरण प्रतीत नहीं होता जिसमें प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सके।

परिणामत: यह द्वितीय जमानत का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उसके समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयास करेगा।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)